


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता संख्या . 2,, 24,, 5,, 2,, 17,, 27,, 50,, 278. प्लॉट संख्या. 20, 27, 54, 81, 104, 150, 156, 164, 171, 187, 202, 109, 257, 265, 278, 284, 296, 303, 312, 313, 320, 334, 336, 337, 354, 371, 367,, 168, 170, 279, 315,, 291, 206,, 26, 51, 54, 55, 66, 74, 75, 134, 145, 150, 168, 229, 231, 237,, 37, 83, 99, 212,, 236,, 471, 468, 476, 469,, 443, 460, 470, 478, (12.00 एकड़) के तहत ग्राम: कुण्डी, देवलगड़ा एवं सराढु. थाना: टंडवा जिला: चतर (झारखण्ड) के निवासी (1) श्रीमती अमीना कुमारी पति छत्रपाल साहु एवं (2) श्रीमती सुलेखा कुमारी पति- शियाराम शरण प्रसाद, (3) श्रीमती मुनिया देवी पति- उमेश कुमार, (4) श्रीमती सुशीला देवी पति- गुरुदयाल साव, (5) श्री सोनु कुमार पिता- देवेन्द्र प्रसाद साहु (6) श्री अश्विनी कुमार पिता- छत्रपाल साहु से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा की ग्राम: कुण्डी, देवलगड़ा एवं सराढु थाना: टंडवा. जिला: चतरा. (झारखण्ड) के निवासी (1) श्रीमती अमीना कुमारी पति- छत्रपाल साहु एवं (2) श्रीमती सुलेखा कुमारी पति- शियाराम शरण प्रसाद, (3) श्रीमती मुनिया देवी पति- उमेश कुमार, (4) श्रीमती सुशीला देवी पति- गुरुदयाल साव, (5) श्री सोनु कुमार पिता- देवेन्द्र प्रसाद साहु (6) श्री अश्विनी कुमार पिता- छत्रपाल साहु. के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


25/01/17